



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092021-229565
CG-DL-E-11092021-229565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943

No. 3356]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3661(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : मेहसी, जिला: पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना -801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : मेहसी		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं. (प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
मेन मेहसी थाना नं. - 140	323		00	01	45
कोठिया हरिरामपुर थाना नं. – 186	4654		00	00	23
	2000		00	28	40
	2003		00	03	11
	2004		00	03	75
	2007		00	00	38

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3661(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Mehshi, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited. Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Balley Road, Patna- 801503 (Bihar.)

SCHEDULE

Anchal : Mehsi		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Main Mehsi Thana No. - 140	323		00	01	45
Kothiya Harirampur Thana No. - 186	4654		00	00	23
	2000		00	28	40
	2003		00	03	11
	2004		00	03	75
	2007		00	00	38

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3662(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : मधुबन, जिला: पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : मधुबन		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
कोईलहारा थाना नं. - 88	283		00	07	93

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3662(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Madhuban, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited. Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Balley Road, Patna- 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Madhuban		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Koilhara Thana No. - 88	283		00	07	93

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3663(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : चकिया (पीपरा), जिला : पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : चकिया(पीपरा)		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
मधुबन बेदीबन थाना नं. – 103	97		00	01	43
	80		00	01	99
	92		00	10	29
	93		00	01	10
	74		00	00	89
	78		00	00	89
	79		00	00	81
	84		00	00	22
	82		00	01	46
	99		00	04	69

	98		00	01	38
	159		00	01	32
जमुनिया थाना नं. – 03	3		00	00	90
	1		00	02	79
	4		00	05	56

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3663(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Chakia (Pipra), District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Chakia (Pipra)		District : East Champaran		State :Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub- Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Madhuban Bediban Thana No. – 103	97		00	01	43
	80		00	01	99
	92		00	10	29
	93		00	01	10
	74		00	00	89
	78		00	00	89
	79		00	00	81
	84		00	00	22
	82		00	01	46
	99		00	04	69

	98		00	01	38
	159		00	01	32
Jamunia Thana No. – 03	3		00	00	90
	1		00	02	79
	4		00	05	56

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3664(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : पीपरा कोठी, जिला : पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : पीपरा कोठी		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव . सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
झखरा थाना नं. – 211	965		00	07	70
	971		00	01	23
	956		00	00	25
	973		00	00	25
	980		00	03	79

	981		00	00	66
	982		00	06	21

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवसर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3664(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Pipra Kothi, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur-Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Pipra Kothi		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Jhakhra Thana No. – 211	965		00	07	70
	971		00	01	23
	956		00	00	25
	973		00	00	25
	980		00	03	79
	981		00	00	66
	982		00	06	21

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3665(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : मोतिहारी, जिला : पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : मोतिहारी		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
चढ़रहिया थाना नं. – 193	810		00	23	03
	813		00	04	90
	811		00	02	84
	815		00	05	39
	1021		00	06	17
	817		00	07	94

ढेकाहाँ थाना नं. - 214	7462		00	01	62
	7463		00	08	46
	6886		00	11	01
	6884		00	00	45
	6879		00	09	79
	6880		00	03	79

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3665(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Motihari, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Motihari		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Chadbrahiya Thana No. - 193	810		00	23	03
	813		00	04	90
	811		00	02	84
	815		00	05	39
	1021		00	06	17
	817		00	07	94
Dhekahan Thana No. - 214	7462		00	01	62
	7463		00	08	46
	6886		00	11	01

	6884		00	00	45
	6879		00	09	79
	6880		00	03	79

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3666(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : तुरकौलिया, जिला: पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : तुरकौलिया		जिला :पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
खगनी थाना नं. – 77	520		00	00	44
लक्ष्मीपुर थाना नं. – 172	1		00	14	16
हरदिया थाना नं. – 174	1		00	14	86
सपही थाना नं. – 79	1187		00	00	41

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3666(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Turkauliya, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Turkauliya		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Khagani Thana No. – 77	520		00	00	44
Lakshmipur Thana No. – 172	1		00	14	16
Haradiya Thana No. – 174	1		00	14	86
Sapahi Thana No. – 79	1187		00	00	41

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3667(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : बंजरिया, जिला: पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : बंजरिआ		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे / ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव. सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सेमरा टोला भोला थाना नं. - 68	920		00	02	22
	927		00	04	40
	917		00	01	11
	918		00	02	45
	926		00	00	23

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3667(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Banjaria, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Banjaria		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Semra Tola Bhola Thana No. - 68	920		00	02	22
	927		00	04	40
	917		00	01	11
	918		00	02	45
	926		00	00	23

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3668(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पाइपलाइन परियोजना” के अंतर्गत एलपीजी के परिवहन हेतु अंचल : सुगौली, जिला : पूर्वी चम्पारण, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अंदर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, ई.आर.पी.एल. निर्माण कार्यालय, हीरा निकेतन नगर, बेली रोड, पटना - 801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल : सुगौली		जिला : पूर्वी चम्पारण		राज्य : बिहार	
मौज़ा/ग्राम	सर्वे /ब्लॉक/ सं.(प्लॉट सं.)	सब-डीव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
छपरा बहास थाना नं. – 56	6073		00	02	49
	6697		00	00	45
	6072		00	00	45
	6132		00	00	45
	6067		00	01	97
	6116		00	03	86
	6133		00	01	74
	6131		00	01	10
	6127		00	00	22
	6128		00	02	31
	6126		00	00	49
	6143		00	00	47
	6689		00	14	50
	6662		00	03	62
	6664		00	04	61
	6658		00	01	13
	6665		00	04	07

[फा. सं. आर.-11025(11)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-35691]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 3668(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal : Sugauli, District : East Champaran in the State of Bihar for “Muzzafarpur - Motihari Pipeline Project” for the transportation of LPG ;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Extra ordinary Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited. Pipelines Division ERPL Construction Office, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Balley Road, Patna - 801503 (Bihar).

SCHEDULE

Anchal : Sugauli		District : East Champaran		State : Bihar	
Mouza/Village	Survey/Block No.	Sub-Div. No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Chhapra Bahas Thana No. – 56	6073		00	02	49
	6697		00	00	45
	6072		00	00	45
	6132		00	00	45
	6067		00	01	97
	6116		00	03	86
	6133		00	01	74
	6131		00	01	10
	6127		00	00	22
	6128		00	02	31
	6126		00	00	49
	6143		00	00	47
	6689		00	14	50

	6662		00	03	62
	6664		00	04	61
	6658		00	01	13
	6665		00	04	07

[F. No. R-11025(11)/3/2020-OR-I/E-35691]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.